

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149) / 2024 / 103

दिनांक : 11/03/2024

आदेश

निम्नलिखित कार्मिक जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित से.नि.तिथि से मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कर्मचारी व पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1	श्री सुबेसिंह यादव, रेडियोग्राफर	जिला चिकित्सालय, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, बाडमेर।	04.03.1964	31.03.2024
2	श्री सुशील कुमार शर्मा अधीक्षक रेडियोग्राफर	राजकीय बी.डी.के. अस्पताल, झुन्झुनू।	08.10.1964	31.10.2024
3	श्री योगेन्द्र सिंह लैब टैक्नीशियन	सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर।	15.05.1964	31.05.2024
4	श्री अभय सिंह अधीक्षक रेडियोग्राफर	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	01.09.1964	31.08.2024
5	श्री गिरिराज सिंह मीणा, अधीक्षक रेडियोग्राफर	राज0 बीडीएम जिला चिकित्सालय, कोटपुतली।	19.04.1964	30.04.2024
6	श्री रामसिंह सैनी लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर।	13.04.1964	30.04.2024
7	श्री ओम प्रकाश दानोदिया वरिष्ठ लैब टैक्नीशियन	एस के मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, सीकर।	10.03.1964	31.03.2024
8	श्री भंवर लाल मीणा वरिष्ठ तकनीकी सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, देसूरी, पाली।	14.04.1964	30.04.2024
9	श्री जुगल किशोर लैब टैक्नीशियन	एस डी एम राजकीय जिला चिकित्सालय, बीकानेर।	22.11.1964	30.11.2024

X

10	श्री कैलाश चन्द सैन तकनीकी सहायक	राजकीय सैटेलाईट हॉस्पिटल काला कुंआ, अलवर।	21.03.1964	31.03.2024
11	श्री लाल सिंह राजपूत वरिष्ठ तकनीकी सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ, बीकानेर।	01.07.1964	30.06.2024
12	ओम प्रकाश कुम्हार लैब टैक्नीशियन	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुजानगढ, चूरु।	07.03.1964	31.03.2024

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जॉच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 11/03/2024

क्रमांक :- ई-33/लै.टै./ (1149)/2024 / 103

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राज. जयपुर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सु.ब. उप जिला चिकित्सालय, सुजानगढ, चूरु।
3. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।
4. संबंधित कार्मिक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. प्रशासनिक अधिकारी डीपीसी अनुभाग मुख्यालय।

उक्त कर्मचारी
के विरुद्ध यदि
आडिट पेरा या
अन्य कोई
वसूली बकाया
हो तो उसकी
वसूली तत्काल
कर निदेशालय
को अवगत
करावें।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर